रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240877
CG-DL-E-10122022-240877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2022/अग्रहायण 15, 1944
No. 631] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2022/AGRAHAYANA 15, 1944

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 दिसम्बर, 2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/9/188/2022.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3, धारा 3ए और धारा 6ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के उपरांत इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. उद्देश्य, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(1) उद्देश्यः भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के द्वारा बीमा क्षेत्र की संवृद्धि को बढ़ावा देना तथा व्यवसाय करने की सुगमता का संवर्धन करना।

(2) संक्षिप्त नामः ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 कहलाएँगे।

(3) प्रारंभः ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा उसके बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रचलित रहेंगे जब तक उसके पहले इनकी समीक्षा नहीं की जाती और इन्हें निरस्त नहीं किया जाता।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "**अधिनियम**" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "**प्राधिकरण**" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "**आवेदक**" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (20) में यथापरिभाषित कंपनी अथवा संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित सांविधिक निकाय अथवा बीमा व्यवसाय करनेवाली सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;

(घ) "**भारग्रस्तता**" में शामिल हैं.-

(i) गिरवी, ग्रहणाधिकार, प्रभार चाहे किसी भी नाम से कहलाए;

(ii) कोई प्रसंविदा (कोविनैंट), लेनदेन, भारग्रस्तता के स्वरूप की कोई स्थिति अथवा व्यवस्था, चाहे किसी भी नाम से कहलाए;

(ङ) **"विदेशी निवेशक"** का अर्थ वही होगा जो उसके लिए भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के नियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (छ) में निर्धारित किया गया है।

(च) **"विदेशी प्रवर्तक"** से "विदेशी निवेशक" अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक शर्तें पूरी करता हैः

(i) जो इस रूप में विवरणिका (प्रास्पेक्टस) में उल्लिखित है अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 में संदर्भित वार्षिक विवरणी में कंपनी द्वारा अभिनिर्धारित है।

(ii) कंपनी के कार्यों पर जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण है चाहे एक शेयरधारक के रूप में, निदेशक के रूप में या अन्य प्रकार से।

(iii) जिसकी सलाह, निदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है।

बशर्ते कि उप-खंड (iii) में निहित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो केवल व्यावसायिक क्षमता में कार्य कर रहा है।

(छ) "**भारतीय निवेशक**" से विदेशी निवेशकों को छोड़कर अन्य "निवेशक" अभिप्रेत हैं।

(ज) "**भारतीय प्रवर्तक**" से अभिप्रेत है

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित कंपनी जो उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) में यथापरिभाषित सहायक संस्था नहीं है।

बशर्ते कि एक सहायक कंपनी को आवेदक के प्रवर्तक के रूप में अनुमति दी जा सकती है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैः

क. उपर्युक्त कंपनी भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध है;

ख. उपर्युक्त कंपनी की निधियों का अपना स्रोत है, जो उसकी धारक कंपनी से स्वतंत्र है;

ग. उपर्युक्त कंपनी के पास आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम से कम रु. 500 करोड़ की निवल मालियत (नेट वर्थ) है; तथा

घ. उपर्युक्त कंपनी की धारक कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक संस्था नहीं है।

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी, परंतु इसमें कोई विदेशी बैंक अथवा भारत में कार्यरत उसकी शाखा शामिल नहीं है।

(iii) समय-समय पर यथासंशोधित कोर निवेश कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के अंतर्गत कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में यथापरिभाषित सरकारी वित्तीय संस्था।

(v) फिलहाल प्रचलन में स्थित किसी संबंधित कानून के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसाइटी।

(vi) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अंतर्गत बनाई गई सीमित देयता भागीदारी।

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-सक्रिय (नान-आपरेटिव) वित्तीय धारक कंपनी (एनओएफएचसी)।

(viii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमत किया जानेवाला कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (69) में स्थित एक

या उससे अधिक शर्तें पूरा करता है।

(झ) "**निवेशक**" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए अन्यथा पात्र है, तथा वह या तो भारतीय निवेशक हो सकता है या विदेशी निवेशक।

(ञ) "**प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति**" में बीमाकर्ता अथवा आवेदक की कोर प्रबंधन टीम के सदस्य शामिल होंगे तथा इसमें सभी पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक स्तर नीचे के कार्यात्मक प्रमुख भी शामिल हैं, तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी, नियुक्त बीमांकक, मुख्य निवेश अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव भी शामिल हैं।

(ट) "**प्रारंभिक व्यय**" से आवेदक के गठन से संबंधित व्यय अभिप्रेत हैं। इनमें आवेदक के गठन के लिए किये गये विधिक, लेखांकन और शेयर निर्गम संबंधी व्यय तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले किये गये व्यय शामिल हैं।

(ठ) "**निजी ईक्विटी निधि**" अथवा "**पीई निधि**" में शामिल हैं-

(i) एक वैकल्पिक निवेश निधि अथवा उसका प्रबंधक जो सेबी के पास पंजीकृत है (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012; और/या

(ii) निवेश के प्रयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केन्द्र प्राधिकरण के पास पंजीकृत एक निधि या उसका प्रबंधक; और/या

(iii) निवेश के लिए विशिष्ट रूप से गठित निधियाँ जो किसी एफएटीएफ अनुपालनकर्ता क्षेत्राधिकार में किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ता के पास पंजीकृत हैं अथवा उनका प्रबंधक पंजीकृत है।

(ड) "**प्रवर्तक**" से भारतीय प्रवर्तक अथवा विदेशी प्रवर्तक अथवा दोनों अभिप्रेत हैं।

(ढ) "**शेयरधारिता स्वरूप**" से वह शेयरधारिता स्वरूप अभिप्रेत है जिसका अनुमोदन पंजीकरण प्रमाणपत्र के समय अथवा किसी परवर्ती समय पर प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

(ण) "**विशेष प्रयोजन माध्यम**" अथवा "**एसपीवी**" से कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी अथवा किसी बीमाकर्ता में निवेश करने के प्रयोजन के लिए सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन गठित सीमित देयता भागीदारी अभिप्रेत है।

(त) "**शेयरों का अंतरण**" में वर्तमान शेयरधारक(कों) से किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों का अंतरण शामिल है तथा ईक्विटी शेयरों का हस्तांतरण और नया निर्गम इसमें सम्मिलित है जो किसी बीमा कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

(2) यहाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. बीमा व्यवसाय के अनुमत वर्ग

(1) बीमा व्यवसाय के जिन वर्गों के लिए पंजीकरण आवेदन हेतु माँग की जा सकती है, वे हैं :

(i) जीवन बीमा व्यवसाय।

(ii) साधारण बीमा व्यवसाय।

(iii) एकमात्र तौर पर स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय।

(iv) एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय।

(v) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य वर्ग।

(2) आवेदक विनियम 3(1) द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में व्यवसाय के केवल किसी एक वर्ग के लिए ही पंजीकरण के आवेदन की माँग करेगा।

4. आवेदक के लिए निरर्हताएँ : आवेदक निम्नलिखित परिस्थितियों में माँग-पत्र के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगाः

i. जहाँ आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय पंजीकरण आवेदन के लिए माँग अथवा पंजीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया हो अथवा आवेदक द्वारा वापस लिया गया हो; अथवा

ii. जहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया हो; अथवा

iii. जहाँ आवेदक के नाम में शब्द `बीमा' (इंश्योरेंस) अथवा `आश्वासन' (एश्योरेंस) अथवा `पुनर्बीमा' (रीइंश्योरेंस) शब्द निहित न हो।

5. पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

(1) **अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)**

i. कोई भी कंपनी अथवा सहकारी सोसाइटी प्राधिकरण से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किये बिना `बीमा' अथवा `आश्वासन' अथवा `पुनर्बीमा' शब्द से युक्त नाम के साथ संस्थापित नहीं की जा सकती।

ii. विनिर्दिष्ट फार्मेट में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के लिए आवेदक से अनुरोध किये जाने पर आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया जा सकता है।

iii. आवेदक को जारी किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) 6 महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके अंदर आवेदक पंजीकरण आवेदन अर्थात् फार्म आईआरडीएआई/आर1 के लिए माँग-पत्र के निर्गम के लिए आवेदन फाइल करेगा।

बशर्ते कि उक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की विधिमान्यता लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(2) **आर1 अनुमोदन**

i. प्राधिकरण फार्म आईआरडीएआई/आर1 जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तथा जाँच करने के बाद विषयों को अपने संतोष के अनुरूप पाने के उपरांत फार्म आईआरडीएआई/आर1 जारी करेगा जो तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके अंदर आवेदक विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/आर1 प्राधिकरण को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण लिखित में कारण दर्ज करते हुए फार्म आईआरडीएआई/ आर1 के निर्गम के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि प्राधिकरण लिखित में कारण दर्ज करने के द्वारा आईआरडीएआई/आर1 की विधिमान्यता को आगे और तीन महीने के लिए बढ़ा सकता है।

ii. विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार फार्म आईआरडीएआई/आर1 में प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किये जाएँगेः

क. कंपनी के मामले में कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया संस्थापन का प्रमाणपत्र अथवा सहकारी सोसाइटी के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र।

ख. जहाँ आवेदक एक कंपनी है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन निगमित है वहाँ संस्था के बहिर्नियम (एमओए) और संस्था के अंतर्नियम (एओए); अथवा बीमा व्यवसाय करने के लिए सांविधिक निकाय स्थापित करते हुए संसद के विधान की एक प्रमाणित प्रतिलिपि;

ग. सहकारी सोसाइटी के मामले में, उप-विधियों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

घ. प्रवर्तक और आवेदक के निदेशकों का नाम, पता और व्यवसाय;

ङ. पिछले पाँच वर्षों तक के लिए प्रवर्तक(कों) की वार्षिक रिपोर्ट, जैसा लागू हो, की एक प्रमाणित प्रतिलिपि;

च. आवेदक के प्रवर्तक(कों) और निवेशक(कों) के बीच शेयरधारकों के करार की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, जैसा लागू हो।

छ. आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित पांच वर्ष के लिए व्यवसाय का पूर्वानुमान एक फेलो बीमांकक से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ कि उक्त पूर्वानुमान उचित और व्यवहार्य हैं।

ज. इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के माध्यम से फार्म आईआरडीएआई/आर1 के प्रसंस्करण के प्रति लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत।

iii. प्राधिकरण फार्म आईआरडीएआई/आर1 का प्रसंस्करण करते समय संगत समझे जानेवाले विषयों का ध्यान रखेगा जिनमें **निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :**

क. प्रवर्तक और निवेशक जिन कारोबार अथवा व्यवसाय के क्षेत्रों में लगे हुए हैं उनमें से प्रत्येक के आचरण और कार्यनिष्पादन का सामान्य पिछला रिकार्ड;

ख. प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक के प्रबंधक-वर्ग में निदेशकों और व्यक्तियों के आचरण और कार्यनिष्पादन का रिकार्ड;

ग. प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक की वित्तीय शक्ति;

घ. प्रवर्तकों, निवेशकों और आवेदक की पूँजीगत संरचना;

ङ. आवेदक की पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी करने के स्रोत;

च. आवेदक और उसके प्रवर्तक(कों) की शेयरधारिता का स्वरूप;

छ. ग्रामीण क्षेत्र में निवास करनेवाले व्यक्तियों, असंगठित क्षेत्र अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में स्थित श्रमिकों को अथवा आर्थिक दृष्टि से असुरक्षित अथवा समाज के पिछड़े वर्गों तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा अथवा साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए दायित्व की पूर्ति करने हेतु आवेदक और उसके प्रवर्तकों की क्षमता;

ज. प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में मोटर वाहनों के अन्य पक्ष जोखिमों में बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करने के लिए दायित्व की पूर्ति करने हेतु क्षमता;

झ. आवेदक की योजनाबद्ध बुनियादी संरचना;

ञ. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के स्थान स्थापित करने, बीमा व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने सहित पाँच अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रस्तावित व्यवसाय विस्तार योजना; तथा

ट. अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित अन्य विषय।

iv. प्राधिकरण का अध्यक्ष मामलों की जाँच के बाद संगत और अपने संतोष के अनुरूप पाने पर उक्त अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन "आर1" अनुमोदन जारी करेगा। उपर्युक्त अनुमोदन पत्र के साथ, आवेदक को पंजीकरण के लिए आवेदन अर्थात् फार्म आईआरडीएआई/आर2 जारी किया जाएगा।

v. उक्त "आर1" अनुमोदन उपर्युक्त अनुमोदन की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके अंदर आवेदक प्राधिकरण के विचारार्थ विधिवत् भरा गया फार्म आईआरडीएआई/आर2 प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि अध्यक्ष, लिखित में कारण दर्ज करते हुए, "आर1" अनुमोदन की विधिमान्यता को और तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(3) **आर 2 अनुमोदन**

i. विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार फार्म आईआरडीएआई/आर2 में प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित मदें प्रस्तुत की जाएँगीः

क. आवेदक और उसके प्रवर्तकों द्वारा एक शपथ-पत्र कि आवेदक की प्रदत्त शेयर पूँजी, प्रारंभिक व्यय घटाने के बाद, अधिनियम की धारा 6 की अपेक्षाओँ का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. आवेदन की तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार आवेदक की शेयरधारिता के स्वरूप को निर्दिष्ट करनेवाला विवरण।

ग. आवेदक के प्रवर्तकों के प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक तथा निवेशकों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (7ए) के उप-खंड (ख) में उल्लिखित ईक्विटी पूँजी की धारिता का परिकलन इन विनियमों के साथ पठित भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अनुसार किया गया है तथा यह आवेदक की प्रदत्त पूँजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि भारतीय प्रवर्तक के सीमित देयता भागीदारी होने की स्थिति में, ऐसे शपथ-पत्र पर नामोद्दिष्ट भागीदार के द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

बशर्ते आगे कि आवेदक के एक सहकारी सोसाइटी होने की स्थिति में, शपथ-पत्र यह प्रमाणित करेगा कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (8ए) के उप-खंड (ग) में उल्लिखित विदेशी पूँजी की धारिता आवेदक की कुल पूँजी के छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

घ. यदि आवेदक के पास विदेशी निवेश है, तो आवेदक के प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक और प्रवर्तक(कों) द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि विनियम 8 की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा।

ङ. यदि आवेदक के पास उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश है, तो आवेदक के प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा पूर्णकालिक निदेशक और प्रवर्तकों के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक शपथ-पत्र कि विनियम 9 की अपेक्षा का अनुपालन किया जाएगा।

च. आवेदक के मानक फार्मों तथा बीमा पालिसियों के संबंध में प्रस्तावित की जानेवाली आश्वासित दरों, लाभों, शर्तों और निबंधनों के विवरणों की प्रमाणित प्रति एवं साथ ही, जीवन बीमा व्यवसाय की स्थिति में एक बीमांकक द्वारा प्रमाणपत्र कि ऐसी दरें, लाभ, शर्तें और निबंधन व्यवहार्य और युक्तियुक्त हैं।

छ. प्रवर्तकों और निवेशकों के बीच, अथवा समग्र रूप में प्रवर्तकों के बीच किये गये सहमति ज्ञापन अथवा प्रबंध करार अथवा शेयरधारक करार अथवा मतदान अधिकार करार अथवा किसी भी स्वरूप के किसी अन्य करार, यदि कोई हो, की प्रमाणित प्रति, उक्त पक्षकारों के बीच विनिमय किये गये समर्थन अथवा सुविधा (कम्फर्ट) पत्रों की प्रतियों सहित।

ज. एक व्यवसायी सनदी लेखाकार अथवा एक व्यवसायी कंपनी सचिव से यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र कि अधिनियम सहित पंजीकरण शुल्क, ईक्विटी शेयर पूँजी, विदेशी निवेश सीमाओं संबंधी सभी अपेक्षाऑं और वर्तमान में प्रचलित कानूनों की अन्य अपेक्षाऑं का अनुपालन आवेदक द्वारा किया गया है।

झ. इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति के माध्यम से फार्म आईआरडीएआई/आर2 के प्रसंस्करण के लिए लागू करों के साथ पाँच लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के भुगतान के समर्थन में सबूत।

ii. फार्म आईआरडीएआई/आर2 के प्रसंस्करण के समाप्त होने के बाद, परंतु प्राधिकरण द्वारा इसके अनुमोदन से पहले आवेदक निम्नलिखित का प्रस्तुतीकरण करेगाः

क. अधिनियम की धारा 6 तथा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये आर1 अनुमोदन और अनुपालन की शर्तों के अनुसार आवेदक द्वारा ईक्विटी शेयर आवेदन राशि प्राप्त करने का साक्ष्य।

ख. आवेदक, प्रवर्तकों और निवेशकों द्वारा एक शपथ-पत्र कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के उपरांत उपर्युक्त शेयर आवेदन राशि आवेदक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के रूप में परिवर्तित की जाएगी।

iii. प्राधिकरण फार्म आईआरडीएआई/आर2 के प्रसंस्करण के समय संगत समझे जानेवाले विषयों को ध्यान में रखेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

क. आवेदक द्वारा प्रदान किये जाने के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों का स्वरूप;

ख. आवेदक के प्रबंधन के अंदर बीमांकिक, लेखांकन और अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञता का स्तर;

ग. अपने स्वयं के संगठन के अंदर निवेशों के प्रबंध सहित बीमा व्यवसाय के संबंध में सभी कार्य संचालित करने हेतु आवेदक के संगठन की संरचना;

घ. आवेदक पात्र है, तथा उसकी राय में अधिनियम के अंतर्गत लागू किये गये अपने दायित्वों को वह प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है;

ङ. आवेदक के प्रवर्तकों, निवेशकों की वित्तीय स्थिति और प्रबंधक-वर्ग का सामान्य चरित्र दोषरहित हैं;

च. उपलब्ध होने की संभावना से युक्त व्यवसाय की मात्रा, तथा आवेदक की पूँजीगत संरचना और अर्जन की संभावनाएँ पर्याप्त होंगी;

छ. आवेदन में विनिर्दिष्ट बीमा व्यवसाय के वर्ग के संबंध में यदि आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है तो आम जनता के हित सुरक्षित होंगे; तथा

ज. आवेदक ने अधिनियम की धाराओं 2सी, 5 और 31ए के उपबंधों का अनुपालन किया है तथा उसके लिए लागू इन धाराऑं की सभी आवश्यकताऑं को पूरा किया है।

झ. अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सभी अन्य संबंधित विषय।

iv. प्राधिकरण संगत समझे जानेवाले विषयों की जाँच करने के बाद और अपने संतोष के अनुरूप, अपने विवेकानुसार उपर्युक्त अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट की जानेवाली शर्तों के अधीन "आर2" अनुमोदन जारी करेगा।

(4) **पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करनाः-**संगत समझे जानेवाले विषयों की जाँच करने के बाद और स्वयं संतुष्ट होने पर, आवेदक को व्यवसाय के उस वर्ग के लिए एक बीमाकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है जिसके लिए आवेदक को उपयुक्त पाया गया हो तथा प्राधिकरण का अध्यक्ष आवेदक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन फार्म आईआरडीएआई/आर3 में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता हैः

i. आवेदक और उसके प्रवर्तक और निवेशक एक निरंतर आधार पर "योग्य और उपयुक्त" (फिट एण्ड प्रोपर) होंगे;

ii. प्रवर्तक और निवेशक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से अपनी शेयरधारिता पर विनिर्दिष्ट अवरुद्धता अवधि (लाक इन पीरियड) का अनुपालन करेंगे।

iii. आवेदक के प्रवर्तक और निवेशक विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवरुद्धता अवधि (लाक इन पीरियड) के दौरान आवेदक के ईक्विटी शेयरों पर कोई भारग्रस्तता निर्मित नहीं करेंगे।

iv. आवेदक के शेयरधारक अधिनियम की धारा 6ए की उप-धारा (4) के अनुसार प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयरों पर कोई भारग्रस्तता निर्मित नहीं करेंगे।

v. आवेदक और प्रवर्तक उक्त शर्तों के द्वारा लगातार आबद्ध होंगे तथा निवेशक लागू होनेवाली ऐसी शर्तों के द्वारा आबद्ध होंगे जिनके अधीन फार्म आईआरडीएआई/आर3 में प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

vi. आवेदक 15 दिन के अंदर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपने प्रवर्तकों और निवेशकों को शेयर आबंटित करने तथा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये आर1 अनुमोदन और आर2 अनुमोदन के अनुसार निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा; तथा

vii. ऐसी अन्य शर्तें जो पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय उपयुक्त समझी जा सकती हैं।

(5) **बीमा व्यवसाय का प्रारंभः** आवेदक जिसे इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, बीमा व्यवसाय जिसके लिए उसे प्राधिकृत किया गया है, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से 12 महीने के अंदर प्रारंभ करेगा। यदि आवेदक निर्धारित समय के अंदर व्यवसाय प्रारंभ नहीं करता, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्धारित समय समाप्त होने के बाद विधिमान्य नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक 12 महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बीमा व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में नहीं है, तो वह समय-सीमा के समाप्त होने से पहले एक लिखित आवेदन के माध्यम से प्राधिकरण से समय-विस्तार की माँग कर सकता है। उपर्युक्त आवेदन में 12 महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यवसाय प्रारंभ न कर पाने के लिए कारण स्पष्ट किये जाएँगे।

आगे यह भी शर्त होगी कि पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से 24 महीने से आगे प्राधिकरण के द्वारा कोई भी समय-विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

(6) **आवेदन का अस्वीकरण**

i. निम्नलिखित स्थितियों में पंजीकरण आवेदन के लिए माँग-पत्र अथवा पंजीकरण के लिए आवेदन को प्राधिकरण द्वारा आवेदक को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद अस्वीकार किया जा सकता हैः

क. जहाँ आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है।

ख. जहाँ अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षाएँ प्रसंस्करण के किसी भी स्तर पर पूरी नहीं की गई हैं।

ग. लिखित में अभिलिखित किये जानेवाले किन्हीं अन्य कारणों के लिए।

ii. प्राधिकरण द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश आवेदक को ऐसे अस्वीकरण के तीस दिन की अवधि के अंदर सूचित किया जाएगा तथा उसमें वे कारण बताये जाएँगे जिनकी वजह से आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

iii. कोई आवेदक, जिसका पंजीकरण के लिए आवेदन किसी भी स्तर पर अस्वीकृत किया गया हो, एक पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) **अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरणः** प्राधिकरण इन विनियमों के अधीन आवेदन प्रस्तुत करनेवाले आवेदक से प्रसंस्करण के किसी भी स्तर पर आवेदन पर विचार करने के लिए संगत विषयों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(8) प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), आर1 अनुमोदन, आर2 अनुमोदन अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के समय उपयुक्त समझी जानेवाली शर्तें लगा सकता है। आवेदक उन शर्तों के द्वारा आबद्ध होगा जिनके अधीन अनुमोदन और/ या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(9) **एसएटी को अपीलः** इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी स्तर पर प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट आवेदक अधिनियम के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

6. अनुपालन की आवश्यकताः

(1) **अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड):** आवेदक के ईक्विटी शेयर निम्नानुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए अवरुद्ध (लाक-इन) रहेंगेः

क्रम सं.	**विवरण**	**निम्नलिखित क्षमता में निवेश**	**अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड)**
1	आर3 (अर्थात् पंजीकरण प्रमाणपत्र) प्रदान करने के समय अथवा उससे पहले निवेश	प्रवर्तक अथवा निवेशक	आर3 प्रदान करने की तारीख से 5 वर्ष
2	आर3 प्रदान करने के बाद 5 वर्ष के दौरान निवेशः शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन की स्थिति में	प्रवर्तक अथवा निवेशक	निम्नलिखित में से जो पहले होः क)निवेश की तारीख से 5 वर्ष; या ख)आर3 प्रदान करने से 8 वर्ष।
3	आर3 प्रदान करने के बाद 5 वर्ष के बाद परंतु 10 वर्ष से पहलेः शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन की स्थिति में	प्रवर्तक	निम्नलिखित में से जो पहले होः क)निवेश की तारीख से 3 वर्ष; या ख)आर3 प्रदान करने से 12 वर्ष
		निवेशक	निम्नलिखित में से जो पहले होः क)निवेश की तारीख से 2 वर्ष; या ख)आर3 प्रदान करने से 11 वर्ष
4	आर3 प्रदान करने के बाद 10 वर्ष के बाद निवेशः शेयरधारिता के स्वरूप में परिवर्तन की स्थिति में	प्रवर्तक	निवेश की तारीख से 2 वर्ष
		निवेशक	निवेश की तारीख से 1 वर्ष

बशर्ते कि बीमाकर्ता को अपने शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध करने में समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण उक्त अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) में रियायत दे सकता है।

(2) **योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडः**

i. प्राधिकरण आवेदक, उसके प्रवर्तकों और निवेशकों का आकलन योग्य और उपयुक्त मानदंडों पर संगत समझे जानेवाले कारकों के आधार पर करेगा जिनमें इन विनियमों की **अनुसूची 1** में विनिर्दिष्ट कारक शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

ii. आवेदक, प्रवर्तक और निवेशक एक निरंतर आधार पर अर्थात् पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बाद भी योग्य और उपयुक्त होंगे।

iii. यदि आवेदक, उसके प्रवर्तक और/या निवेशक किसी भी स्तर पर योग्य और उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तो प्राधिकरण उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई कर सकता है।

(3) **विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी):** यदि आवेदक को किसी विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगाः

i. उक्त एसपीवी किसी भी प्रकार के परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं करेगा।

ii. एसपीवी के कर्मचारियों अथवा निदेशकों को कोई स्टाक विकल्प अथवा स्वेद ईक्विटी शेयर जारी नहीं किये जाएँगे।

iii. एसपीवी के शेयरों के अंतरण के लिए इन विनियमों की **अनुसूची 2** में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार अधिनियम की धारा 6ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

iv. इन विनियमों के अनुसार निवेश की सीमाएँ, अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) और अन्य अपेक्षाएँ एसपीवी स्तर पर भी लागू होंगी।

v. विनियम 5) के उप-विनियम (2) के खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट मानदंड एसपीवी के प्रवर्तक और निवेशक के लिए भी लागू होंगे।

vi. एसपीवी द्वारा जारी किये जानेवाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन सेबी द्वारा पंजीकृत दो श्रेणी-I व्यापारिक बैंकरों द्वारा दिये गये मूल्यांकन प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारित कीमत पर किया जाएगा। ऐसे प्रमाणपत्र शेयरों के आबंटन की तारीख से 30 दिन से पहले जारी नहीं किये जाने चाहिए। व्यापारिक बैंकर ऐसे मूल्यांकन के लिए औचित्य-स्थापन के साथ निदेशक बोर्ड को संबोधित एक उचित रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण कारकों के साथ सारांश की एक प्रति आम बैठक की सूचना के साथ शेयरधारकों को भेजी जाएगी; तथा

vii. एसपीवी की प्रदत्त पूँजी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अपेक्षित आवेदक की न्यूनतम प्रदत्त पूँजी के समान अथवा उससे अधिक होगी।

(4) **परिचालन कंपनीः** यदि आवेदक किसी परिचालन कंपनी के द्वारा प्रवर्तित है, तो उक्त प्रवर्तक आवश्यक समुचित सावधानी के अधीन होगा **जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैः**

i. फार्म पर विषय-वस्तु (सबस्टैन्स) के आधार पर परिचालन कंपनी के स्वरूप की जाँच।

ii. व्यावसायिक परिचालन, चलनिधि और लाभप्रदता का पिछला रिकार्ड।

iii. एक निरंतर आधार पर आवेदक की व्यावसायिक और शोधन-क्षमता की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पूँजी जुटाने हेतु प्रवर्तक की क्षमता और

iv. प्रवर्तक की शेयरधारिता का स्वरूप।

(5) **"प्रवर्तक" के रूप में निवेशः** बीमाकर्ता में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तक की क्षमता में निवेश निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए होगाः

i. वह व्यक्ति एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और एक पुनर्बीमाकर्ता से अधिक का प्रवर्तक नहीं होगा।

ii. वह व्यक्ति भविष्य में बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता और/या व्यावसायिक आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, पूरी करने के लिए बीमाकर्ता में पूँजी लगाने के लिए एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा; और

iii. वह व्यक्ति इन विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ता का प्रवर्तक होने के लिए अन्यथा पात्र है।

(6) **प्रवर्तक(कों) की शेयरधारिताः** बीमाकर्ता के सभी प्रवर्तक(कों) की न्यूनतम शेयरधारिता बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पचास (50) प्रतिशत से अधिक पर सामूहिक तौर पर अनुरक्षित की जाएगी।

बशर्ते कि प्रवर्तक बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्वीटी पूँजी में अपने हित को पचास (50) प्रतिशत से नीचे परंतु छब्बीस (26) प्रतिशत से अन्यून स्तर तक कम कर सकते हैं, यदि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएः

क. प्रवर्तक(कों) द्वारा हित को कम करने से तत्काल पूर्ववर्ती 5 वर्ष के दौरान बीमाकर्ता के पास शोधन-क्षमता अनुपात के नियंत्रण स्तर से अधिक होने का पिछला रिकार्ड हो; तथा

ख. बीमाकर्ता के शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध हों।

(7) **"निवेशक" के रूप में निवेशः** बीमाकर्ता में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेशक की क्षमता में निवेश निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए होगाः

i. एक एकल "निवेशक" द्वारा निवेश बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के पच्चीस (25) प्रतिशत से कम होगा।

ii. सभी "निवेशकों" द्वारा सामूहिक तौर पर निवेश बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के पचास (50) प्रतिशत से कम होगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा यदि बीमाकर्ता के ईक्विटी शेयर भारत में शेयर बाजार(रों) में सूचीबद्ध हैं।

iii. **बीमाकर्ताओं की संख्या**

क. एक निवेशक किसी भी संख्या में बीमाकर्ताओं में निवेश कर सकता है बशर्ते कि उक्त निवेश संबंधित बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक न हो।

ख. निवेश बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक परंतु पच्चीस प्रतिशत से कम होने की स्थिति में, निवेशक द्वारा निवेश को बीमा व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग में दो बीमाकर्ताओं से अनधिक रूप में सीमित किया जाएगा।

बशर्ते कि निवेशक बीमाकर्ता के बोर्ड में एक निदेशक को नामित कर सकता है यदि उसका निवेश संबंधित बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी के 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

iv. किसी निवेशक द्वारा एक असूचीबद्ध बीमाकर्ता में एकबारगी (वन-टाइम) निवेश किये जाने की स्थिति में, निवेशक बीमाकर्ता को इस आशय का एक प्रारंभिक प्रकटीकरण करेगा। ऐसे मामले में, प्रवर्तक भविष्य में बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता और/या व्यावसायिक आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, पूरी करने के लिए बीमाकर्ता की पूँजी लगाने के लिए प्राधिकरण को एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा/करेंगे।

(8) **प्रवर्तक और/या निवेशक द्वारा निवेश के लिए अतिरिक्त शर्तें :** निवेश निम्नलिखित का भी अनुपालन करते हुए किया जाएगाः

i. निवेश पूर्णतः स्वयं की निधियों से किया जाएगा और उधार ली गई निधियों से नहीं किया जाएगा।

ii. यदि एक ही प्रबंधन के अधीन स्थित किसी समूह संस्था अथवा निगमित निकाय ने भी बीमाकर्ता में निवेश किया है, तो इन विनियमों के अंतर्गत विद्यमान सीमाएँ समूह स्तर के लिए लागू होंगी।

इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों "समूह" और "एक ही प्रबंधन" के अर्थ क्रमशः अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी)(iii) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिये गये रूप में होंगे।

iii. अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी) में निहित रूप में शेयरों के अंतरण से संबंधित उपबंध किसी बीमाकर्ता के शेयरों पर गिरवी अथवा किसी अन्य प्रकार की भारग्रस्तता के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

iv. किसी संस्था के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक बीमाकर्ताओं में निवेश करने की स्थिति में :

क. वह व्यक्ति सभी निवेशिती बीमाकर्ताओं को सामान्य धारिता से संबंधित तथ्यों का प्रकटीकरण करेगा;

ख. वह व्यक्ति बीमाकर्ता के साथ उक्त सामान्य इक्विटी धारिता के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी हितों के संघर्ष से बचने के लिए व्यवस्था लागू करेगा; और

ग. उक्त व्यक्ति द्वारा नामित निदेशक अन्य निवेशिती बीमाकर्ता(ओं) से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा से दूर रहेगा, जहाँ हितों का संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

(9) **निजी** इक्विटी निधियों द्वारा निवेश के लिए मानदंड:

i. निजी ईक्विटी निधियाँ इन विनियमों के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तरीके से आवेदक में प्रवर्तक या निवेशक की क्षमता में निवेश कर सकती हैं।

ii. बीमाकर्ता की भविष्य की पूँजी आवश्यकता के संबंध में प्रस्तावित सीमा सहित, बीमाकर्ता में निवेश, उसके निवेशकों के प्रति स्थानन ज्ञापन में या उसके चार्टर दस्तावेजों में प्रतिबिंबित पीई निधि की कार्यनीति के अनुसार होगा।

iii. एक निजी इक्विटी निधि किसी भी बीमाकर्ता में निवेश "प्रवर्तक" की क्षमता में कर सकती है, केवल यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:

क. पीई निधि या उसकी मूल निधि के प्रबंधक ने परिचालन के 10 साल पूरे कर लिए हैं;

ख. पीई निधि द्वारा उसकी समूह संस्था(ओं) सहित जुटाई गई निधियाँ 500 मिलियन अमरीकी डालर या उससे अधिक (या भारतीय रुपयों में उसके समतुल्य) है;

ग. पीई निधि के पास उपलब्ध निवेशयोग्य निधियाँ 100 मिलियन अमरीकी डालर से कम नहीं है; तथा

घ. पीई निधि के प्रबंधक ने भारत में या अन्य अधिकार-क्षेत्रों में वित्तीय क्षेत्र में निवेश किया है।

(10) **शेयरों का अंतरण** : बीमा कंपनी के शेयरों के अंतरण या इक्विटी पूंजी के निर्गम का कोई पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारिता में परिवर्तन होगा, जहाँ

i. अंतरण के बाद, बीमा कंपनी के शेयरों में अंतरिती की कुल प्रदत्त धारिता उसकी प्रदत्त पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है; या

ii. एक व्यक्ति, फर्म, समूह, एक समूह के घटकों, या एक ही प्रबंधन के तहत निगमित निकाय द्वारा अंतरित किए जाने के लिए उद्दिष्ट शेयरों का अंकित मूल्य, संयुक्त रूप से या अलग-अलग बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक है।

जब तक इन विनियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट तरीके से उक्त अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।

7. विदेशी प्रवर्तक और विदेशी निवेशक द्वारा धारित इक्विटी पूँजी के परिकलन का तरीकाः

अधिनियम और इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, आवेदक कंपनी में एक या उससे अधिक विदेशी निवेशकों और/या विदेशी प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी शेयरों की धारिता का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा और वह निम्नलिखित का कुलयोग होगाः-

(i) आवेदक कंपनी में विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक(कों) सहित विदेशी निवेशक(कों) और विदेशी प्रवर्तक(कों) द्वारा धारित प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की मात्रा; तथा

(ii) इस विनियम के उप-खंड (i) में उल्लिखित रूप में भारतीय प्रवर्तक(कों) या भारतीय निवेशक(कों) में ऐसे विदेशी निवेशक(कों) या विदेशी प्रवर्तक(कों) द्वारा या तो स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से धारित या नियंत्रित प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी का अनुपात।

बशर्ते कि खंड (ii), विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ज) के खंड (ii) और (iv) में उल्लिखित भारतीय प्रवर्तक या भारतीय निवेशक पर लागू नहीं होगा।

आगे यह भी शर्त होगी कि खंड (ii) सूचीबद्ध भारतीय बीमाकर्ता के किसी भी भारतीय प्रवर्तक या भारतीय निवेशक पर लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा भारतीय प्रवर्तक और/या भारतीय निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और/या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित हैं।

8. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों आदि के लिए निवासी भारतीय नागरिकता की आवश्यकता।

विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनी में-

क. उसके अधिकांश निदेशक,

ख. उसके अधिकांश प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति, और

ग. उसके बोर्ड के अध्यक्ष, उसके प्रबंध निदेशक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक निवासी भारतीय नागरिक होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "निवासी भारतीय नागरिक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियमावली, 2015 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ण) में दिया गया है।

9. उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के लिए अपेक्षाएँ

उनचास प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश से युक्त एक भारतीय बीमा कंपनी में—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान किया जाता है और जिसके लिए किसी भी समय शोधन-क्षमता मार्जिन शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर के 1.2 गुना से कम है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ के पचास प्रतिशत से अन्यून राशि सामान्य रिजर्व में प्रतिधारित की जाएगी; तथा

(ख) उसके निदेशकों में पचास प्रतिशत से अन्यून निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे, जब तक कि उसके बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक न हों, जिस स्थिति में उसके बोर्ड के कम से कम एक तिहाई भाग में स्वतंत्र निदेशक होंगे।

10. वार्षिक शुल्क

(1) एक बीमाकर्ता जिसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लागू करों के साथ एक वार्षिक शुल्क का भुगतान पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के 31वें दिन से पहले करेगा।

(2) वार्षिक शुल्क निम्नलिखित में से उच्चतर होगा

i. दस लाख रुपये, या

ii. जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क अदा करने की आवश्यकता है, उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बीमाकर्ता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का बीसवाँ भाग, अथवा दस करोड़ रुपये, जो भी कम हो;

बशर्ते कि उस बीमाकर्ता के मामले में जो एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय कर रहा हो, भारत में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम के बजाय, भारत में उसके द्वारा स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) वार्षिक शुल्क का भुगतान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में किया जाएगा। उक्त वार्षिक शुल्क इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के किसी भी मान्यताप्राप्त पद्धति से विप्रेषित किया जाएगा।

(4) यदि बीमाकर्ता उप-विनियम)1 (में विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क जमा नहीं करता ,तो प्राधिकरण वार्षिक शुल्क का भुगतान निम्नलिखित रूप में अर्थदंड के तौर पर अतिरिक्त शुल्क के साथ स्वीकार कर सकता है

i. वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत, यदि वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान किया जाता है; या

ii. वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत, यदि शुल्क का भुगतान इस विनियम में निर्धारित भुगतान की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, परंतु वित्तीय वर्ष जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी, की समाप्ति से पहले किया जाता है।

(5) जहां बीमाकर्ता ने उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले शुल्क का भुगतान नहीं किया है जिसमें इसका भुगतान करना निर्धारित है, वहाँ अधिनियम की धारा3 ए के उप खंड) 2 (के साथ पठित धारा 3 के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है।

11. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम: प्राधिकरण, लागू करों के साथ पांच हजार रुपये के शुल्क की प्राप्ति पर, बीमाकर्ता को प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी कर सकता है, यदि बीमाकर्ता प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट रूप में फॉर्म आईआरडीएआई/आर4 में आवेदन प्रस्तुत करता है।

12. पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या निरसन

(1) **बीमाकर्ता द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के अनुसरण में पंजीकरण का निरसन** :

i. बीमाकर्ता उसे प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित कर सकता है और निम्नलिखित स्थितियों में प्राधिकरण से इसे निरस्त करने का अनुरोध कर सकता है:

क. बीमाकर्ता के व्यवसाय या व्यवसाय के एक वर्ग का अंतरण किसी व्यक्ति को इस आशय के प्राधिकरण के आदेश के अनुसरण में अंतरित कर दिया गया है।

ख. प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बीमाकर्ता का व्यवसाय या व्यवसाय का एक वर्ग किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय में अंतरित किया गया है या समामेलित किया गया है।

ग. बीमाकर्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद निर्धारित समय के अंदर अपना परिचालन शुरू करने की स्थिति में नहीं है।

ii. प्राधिकरण, अनुरोध की जांच करने के बाद, बीमाकर्ता के पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक शर्तों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है।

(2) **पंजीकरण का निलंबन या निरसन**: अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाए गए किसी भी दंड या किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी बीमाकर्ता का पंजीकरण ऐसी अवधि के लिए निलंबित और/या निरस्त किया जा सकता है जैसी कि निम्नलिखित परिस्थितियों में एक आदेश के जरिये प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता हैः

i. बीमाकर्ता किसी भी समय, सामान्य रूप से अधिनियम के किसी भी प्रावधान और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 64वी और धारा 64वीए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

ii. बीमाकर्ता परिसमापन में है या एक दिवालिये के रूप में न्यायनिर्णीत है,

iii. प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता का व्यवसाय या व्यवसाय का एक वर्ग किसी व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया है अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के व्यवसाय में अंतरित या समामेलित किया गया है।

iv. अधिनियम की किसी अपेक्षा या प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी नियम या किसी विनियम, निदेश या आदेश का अनुपालन करने में चूक करता है, या उल्लंघन करते हुए कार्य करता है, विशेष रूप से यदि बीमाकर्ता,

क) अपने व्यवसाय का संचालन पालिसीधारकों के हितों के लिए प्रतिकूल तरीके से करता है;

ख) अपने बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता है;

ग) अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित रूप में अथवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करता है;

घ) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी जाँच में सहयोग नहीं करता;

ङ) छलपूर्ण प्रथाओँ में लिप्त रहता है;

च) अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त रहता है;

छ) विनियमों में विनिर्दिष्ट बुनियादी संरचना अथवा सामाजिक क्षेत्र में निवेश नहीं करता है।

v. प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि बीमा की किसी पालिसी के अंतर्गत बीमाकर्ता पर भारत में उत्पन्न होनेवाला कोई दावा किसी नियमित न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद तीन महीने के लिए भुगतान किये बिना रह जाता है,

vi. बीमाकर्ता बीमा व्यवसाय के उस वर्ग के अलावा जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है अथवा किसी विनिर्दिष्ट व्यवसाय को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय करता है,

vii. बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश या किए गए आदेश, जैसी स्थिति हो, के अनुपालन में चूक करता है,

viii. बीमाकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013, या साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1872 या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी भी अपेक्षा के अनुपालन में कोई चूक करता है, या उल्लंघन करते हुए कार्य करता है;

ix. बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 3ए के अंतर्गत अपेक्षित वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता है, या

x. बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता का प्रवर्तक **अनुसूची 1** के अनुसार विनिर्दिष्ट "योग्य और उपयुक्त" (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों का अनुपालन नहीं करता है; या

xi. बीमाकर्ता को उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है,

बशर्ते कि प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित प्रकार की दोहराई जानेवाली चूकों की स्थिति में लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए, पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन का दंड लगा सकता है।

(3) **पंजीकरण** का प्रमाणपत्र के निलंबन के लिए प्रक्रिया

i. बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना उप-खंड (2) के तहत पंजीकरण के निलंबन का कोई आदेश लागू नहीं किया जाएगा।

ii. प्राधिकरण बीमाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और बीमाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगेगा कि बीमाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिस में वे आरोप या कारण शामिल होंगे जिनके लिए कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है।

iii. प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए बीमाकर्ता को इक्कीस दिनों की समयावधि की अनुमति देगा।

बशर्ते कि ऐसी स्थितियों में जहां पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करना उचित समझा जाए, बीमाकर्ता को प्राधिकरण के लिए उचित समझी जाने वाली ऐसी अवधि के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

iv. प्राधिकरण, कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र, परंतु उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के बाद, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे। यदि कारण बताओ नोटिस के अनुसार समयावधि के भीतर बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण को कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तो प्राधिकरण इस विषय में एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है।

v. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में, उस आदेश के द्वारा लगाए गए दंड के औचित्य सहित, कारण बताए जाएँगे।

vi. प्राधिकरण आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर बीमाकर्ता को किए गए आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(4) **पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरसन की प्रक्रिया**

i. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच आयोजित किए बिना उप-खंड (2) के तहत पंजीकरण रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

ii. इस विनियम के तहत जांच आयोजित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

iii. जांच अधिकारी बीमाकर्ता को उसके पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय के प्रधान स्थान पर एक नोटिस जारी करेगा।

iv. बीमाकर्ता इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर जाँच अधिकारी को एक उत्तर प्रस्तुत कर सकता है, साथ में उसके द्वारा निर्भर रहे दस्तावेजी या अन्य सबूतों की प्रतियों के साथ अथवा प्राधिकरण द्वारा बीमाकर्ता से माँगे गये दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

v. जांच अधिकारी बीमाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देगा जिससे वह अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुतीकरण कर सके।

vi. यदि आवश्यक समझा जाता है तो जांच अधिकारी प्राधिकरण को उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कह सकता है।

vii. बीमाकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से या बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

बशर्ते कि जाँच में बीमाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुमति नहीं दी जाएगी:

आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में एक अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है, वहाँ बीमाकर्ता के लिए अपना प्रकरण एक अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना न्यायसंगत होगा।

viii. जांच अधिकारी, बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी प्रासंगिक तथ्यों और प्रस्तुतियों को ध्यान में रखने के बाद, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और दंड की सिफारिश करेगा तथा प्रस्तावित दंड का औचित्य भी बताएगा।

ix. जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस पर विचार करेगा और यदि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तो कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसके द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली कार्रवाई बीमाकर्ता के विरुद्ध क्यों नहीं की जानी चाहिए।

x. बीमाकर्ता कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को उत्तर भेजेगा।

xi. प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, यथाशीघ्र परंतु उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के अंदर अपने द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले आदेश पारित करेगा। यदि दिये गये नोटिस के लिए बीमाकर्ता द्वारा 90 दिनों के भीतर प्राधिकरण को कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो प्राधिकरण एकपक्षीय निर्णय लेने के लिनए आगे बढ़ सकता है।

xii. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में, उस आदेश के द्वारा लगाये गये दंड के औचित्य सहित उसके लिए कारण दिये जाएँगे।

xiii. प्राधिकरण आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर बीमाकर्ता को पारित किए गए आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(5) **प्रमाणपत्र के निलंबन या निरसन का प्रभाव** : पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या निरसन की तारीख को और उस तारीख से बीमाकर्ता नया बीमा कारोबार करना बंद कर देगा:

बशर्ते कि प्राधिकरण इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट की जानेवाली अवधि के लिए वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग जारी रखने के लिए बीमाकर्ता को निदेश दे सकता है।

(6) **आदेश का प्रकाशन:** इन विनियमों के विनियम 12(4) के तहत पारित प्राधिकरण के आदेश को उस क्षेत्र के कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा जहां बीमाकर्ता के व्यवसाय का प्रधान स्थान है।

(7) **एसएटी को अपील:** इन विनियमों के तहत प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट होने पर बीमाकर्ता, अधिनियम की धारा 110 के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

13. **स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति :** इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने या उसकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जाने वाले स्पष्टीकरण या निर्देश जारी कर सकता है।

14. **व्याख्या:** प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास इन विनियमों की व्याख्या करने की शक्तियां होंगी।प्राधिकरण के अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम और आवेदकों और बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगी।

15. **निरसन और बचत**

(1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित विनियम निरस्त हो जाएंगे:

क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000; तथा

ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015।

(2) जब तक इन विनियमों द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती है, उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के संबंध में किए गए या किए गए की गई किसी भी कार्रवाई को इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा।

अनुसूची 1: योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड

(विनियम 6 के उप-विनियम (2) और विनियम 12 के उप-विनियम (2) के खंड (x) का संदर्भ लें)

"योग्य और उपयुक्त" स्थिति का निर्धारण - आवेदकों, प्रवर्तकों और/या निवेशकों की "योग्य और उपयुक्त" स्थिति का निर्धारण करने के लिए निदर्शी मानदंड

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संस्था भारतीय बीमा कंपनियों का प्रवर्तक या निवेशक होने के लिए "योग्य और उपयुक्त" है, प्राधिकरण उपयुक्त रूप में सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रख सकता है, **जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं** :

i. संस्था की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, पिछला रिकॉर्ड:

1. प्रवर्तक या निवेशक की वित्तीय शक्ति।
2. व्यवसाय, शोधन-क्षमता और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी लगाने की क्षमता।
3. फेमा और कराधान कानून सहित भारत में सभी लागू कानूनों का अनुपालन।
4. किसी भी भविष्य के पूंजी अंतर्वाह के लिए आवश्यक धन स्रोत के लिए पूंजी या वित्तीय बाजारों तक पहुंचने की क्षमता।
5. व्यवसाय रिकॉर्ड और संस्था का अनुभव।

ii. समुचित सावधानी

1. भारत और/या भारत के बाहर अन्य विनियामक निकायों द्वारा अनुमोदन या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), जैसा लागू हो;
2. प्रवर्तकों, निवेशकों अथवा समूह संस्थाओं द्वारा भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग), कपटपूर्ण या अनुचित व्यापार प्रथाएँ या बाजार संबंधी हेरफेर।
3. भारत में या भारत के बाहर किसी भी विनियामक या सांविधिक या न्यायिक निकायों द्वारा संस्था या उसके किसी भी प्रवर्तक या समूह संस्थाओं या उसके किसी प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) के विरुद्ध दोषसिद्धि सहित कार्यवाही।

iii. कुल मिलाकर पॉलिसीधारकों और आम जनता का हित।

iv. प्रबंधन और अभिशासन संरचना पर प्रभाव।

v. शेयरधारकों के बीच करार तथा नियंत्रण या प्रबंधन पर प्रभाव।

vi. प्रवर्तक या निवेशक की शेयरधारिता और पूंजी संरचना।

vii. निवेश के लिए निधियों का स्रोत।

viii. निवेशकों या प्रवर्तकों के शेयरों का लाभकारी स्वामित्व।

अनुसूची 2: शेयरों का अंतरण

(विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खंड (iii) और विनियम 6 के उप-विनियम (10) का संदर्भ लें)

इन विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम **(3)** के खंड **(iii)** और इन विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (10) के साथ पठित अधिनियम की धारा 6ए के तहत**,** जैसा कि आवश्यक हो**,** शेयरों के अंतरण के उद्देश्य के लिए पूर्व अनुमोदन निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जाएगा।

(1) **प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन:**

क. निर्दिष्ट फार्म में आवेदन: अधिनियम की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों और अंतरणकर्ता और अंतरिती के विवरण के साथ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म(फार्मों) में किया जाएगा। प्रस्तावित अंतरिती, उसकी वित्तीय शक्ति, निधियों के स्रोत जिनसे प्रस्तावित निवेश किया जाना है, और ऐसी अन्य जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है, का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

ख. लाभकारी शेयरधारिता संबंधी घोषणा: शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन प्रस्तावित शेयरधारक से एक घोषणा के साथ होगा कि क्या शेयरों को अपने स्वयं के लाभ के लिए या नामांकित व्यक्ति के रूप में, चाहे संयुक्त रूप से या अलग-अलग, दूसरों की ओर से धारित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है तथा नामांकित व्यक्ति होने की स्थिति में लाभार्थी स्वामी या स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता, और प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा का विवरण दिया जाएगा।

ग. व्यापारिक बैंकर द्वारा प्रमाणपत्र: शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ सेबी के तहत पंजीकृत श्रेणी-**I** व्यापारिक (मर्चेंट) बैंकर का एक प्रमाणपत्र होना चाहिए, जो बीमाकर्ता के प्रति शेयर उचित मूल्य को प्रमाणित करता हो। ऐसा प्रमाणपत्र आवेदन की तारीख से 30 दिन से अधिक पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए।

घ. प्रसंस्करण शुल्क : इस अनुसूची के तहत शेयरों के अंतरण के लिए प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन अपेक्षित करने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ लागू करों के साथ 1 लाख रुपये के वापस न करने योग्य शुल्क के साथ भुगतान का प्रमाण देना होगा।

(2) **समुचित सावधानी (ड्यू** डिलिजेंस): प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6ए की उप धारा (4) के उपबंधों के तहत शेयरों के अंतरण के पंजीकरण के लिए या प्रस्तावित अंतरिती को शेयर जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्रस्तावित अंतरिती के संबंध में आवश्यक समुचित सावधानी बरतेगा।

(3) **अनुमोदन के लिए शर्तें** : प्राधिकरण, अपना अनुमोदन प्रदान करते समय, अंतरिती पर ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क. इन विनियमों के विनियम 6(1) के अनुसार अवरुद्धता (लॉक-इन) अवधि।

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा कंपनी हर समय विनियामक शोधन-क्षमता आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, आवधिक अंतरालों पर अपनी शेयरधारिता के अनुपात में या अन्यथा अतिरिक्त पूंजी डालना; तथा

ग. पंजीकरण प्रमाणपत्र अर्थात् आर3 प्रदान करते समय प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन।

(4) **सूचीबद्ध बीमा कंपनियों के मामले में शेयरों का अंतरण:**

क. बीमाकर्ता की चुकता इक्विटी पूंजी के 1% या उससे अधिक लेकिन 5% से कम का अंतरण:

i. प्रत्येक व्यक्ति जो बीमाकर्ता की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन पांच प्रतिशत से कम को अंतरित करने के लिए कोई अंतरण या कोई व्यवस्था या समझौता करने का इरादा रखता है, बीमाकर्ता के पास अधिग्रहणकर्ता के योग्य और उपयुक्त मानदंडों के स्व-प्रमाणन की फाइलिंग के अधीन ऐसा कर सकता है।

ii. बीमाकर्ता के पास इस तरह की फाइलिंग को अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी)(iii) के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के माने गये अनुमोदन के रूप में माना जाएगा।

iii. अंतरणकर्ता लेन-देन के निष्पादन पर तुरंत बीमाकर्ता को सूचित करेगा। अंतरणकर्ता को चुकता पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के किसी भी लेन-देन के लिए अनुपालन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

ख. बीमाकर्ता की चुकता इक्विटी पूंजी के 5% या उससे अधिक का अधिग्रहण:

i. प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिग्रहण करने या एक व्यवस्था या अधिग्रहण के लिए समझौता करने का इरादा रखता है, जो ऐसे व्यक्ति की कुल धारिता को बीमाकर्ता की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक तक ले जाने की संभावना है, इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

ii. बीमाकर्ता की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत तक ऐसे व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता के शेयरों के अनुवर्ती अधिग्रहण के लिए, प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

ग. उपरोक्त में से किसी बात के बावजूद, भले ही अधिग्रहण या कुल धारिता पांच प्रतिशत से कम होने का प्रस्ताव हो और यदि संबंधित बीमाकर्ता को संदेह हो कि व्यक्तियों या समूहों द्वारा बीमाकर्ता में नियंत्रण हित अधिगृहीत करने की दृष्टि से वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से अधिक प्राप्त करने के लिए संदिग्ध तरीके अपनाए गए हैं, संबंधित बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण को एक संदर्भ दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे शेयरधारकों से समुचित सावधानी तथा योग्य और उपयुक्त मानदंडों का अनुपालन करने की अपेक्षा करे।

(5) **अंतरण की सीमा का निर्धारण:**

क. शेयरों के अंतरण या अधिग्रहण की मात्रा की गणना के उद्देश्य से, ऐसे परिदृश्य जहां अंतरण एक या अधिक पार्टियों के पक्ष में निष्पादित किया जाता है, चाहे एकल या बहुविध लेनदेनों में एक प्रतिशत से अधिक या पांच प्रतिशत का संचयी अंतरण किया गया हो किसी निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये संचयी अंतरणों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, जब भी एक वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधिक होने की संभावना होती है, तब संस्था प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य होगी।

ख. सूचीबद्ध कंपनियाँ: शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में

i. उपर्युक्त (क) के प्रावधान केवल प्रवर्तकों या प्रवर्तक समूह के संबंध में ही लागू होंगे।

ii. अंतरण में मौजूदा शेयरधारकों द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार बिक्री का प्रस्ताव शामिल होगा, चाहे ऐसा शेयरधारक प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का हिस्सा हो या नहीं।

(6) **बीमा कंपनी के शेयरों की गिरवी:** अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी) में निहित शेयरों के अंतरण से संबंधित उपबंध और यह अनुसूची यथोचित परिवर्तनों सहित गिरवी के निर्माण या किसी बीमा कंपनी के शेयरों पर किसी अन्य प्रकार की भारग्रस्तता के लिए लागू होगी।

(7) **रिपोर्टिंग आवश्यकताएं:**

क. प्रत्येक बीमाकर्ता जिसे अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर, विनिर्दिष्ट फार्मेट में, प्रवर्तक की शेयरधारिता के एक प्रतिशत से अधिक परिवर्तनों को निर्दिष्ट करते हुए एक विवरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। हालांकि, प्रवर्तकों की शेयरधारिता के पांच प्रतिशत से अधिक के किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत प्राधिकरण को दी जाएगी।

ख. प्रत्येक बीमाकर्ता तिमाही आधार पर एक घोषणा दाखिल करेगा कि उसके प्रवर्तक और निवेशक 'योग्य और उपयुक्त' हैं।

ग. यदि अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए विनियमों और दिशानिर्देशों तथा प्राधिकरण द्वारा शेयरों के अंतरण के संबंध में जारी किए गए परिपत्रों के संबंध में कोई गैर-अनुपालन देखा जाता है, तो बीमा कंपनियां तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेंगी।

घ. अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, एक बीमाकर्ता घटित होनेवाले अथवा किये गये किसी भी परिवर्तन का पूर्ण विवरण प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत करेगा जो निम्नलिखित में से किसी भी विषय को प्रभावित करता है या किया जाता है:

i. प्रवर्तक की शेयरधारिता पर निर्मित कोई भी भारग्रस्तता,

ii. प्रवर्तक के नियंत्रण में कोई परिवर्तन,

iii. प्रवर्तक के विरुद्ध की गई कोई भी दंडात्मक या विनियामक कार्रवाई,

iv. कोई अन्य विषय जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

(8) **उल्लंघन या अननुपालन के लिए कार्रवाई**

प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना शेयरधारकों द्वारा निर्धारित प्रारंभिक (थ्रेशोल्ड) सीमा से परे निष्पादित शेयरों के अंतरण के मामले में विनियामक कार्रवाई की जाएगी और

क. बीमा कंपनी की किसी भी बैठक में अंतरिती के पास कोई मतदान अधिकार नहीं होगा।

ख. अंतरिती विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक अधिगृहीत अतिरिक्त शेयरों का तुरंत निपटान करेगा।

फार्म आईआरडीएआई/आर3

(विनियम 5 का उप-विनियम 4 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(प्राधिकरण की सील)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्याः...XXX...

प्रमाणित किया जाता है कि (बीमाकर्ता का नाम और पता)......... (XXX)...............................

को आज .....(XXX)...... (दिनांक) को व्यवसाय के ....(XXX).......... वर्ग में लेनदेन करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया है।

आज दो हजार ....(XXXX).......... के माह ....(XX)......... के ....(XX)..... वें दिन हैदराबाद में प्राधिकरण की मुहर के अधीन जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर

(सक्षम प्राधिकारी)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./450/2022-23]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th December, 2022

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022

F. No. IRDAI/Reg/9/188/2022: In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938, section 3, section 3A and section 6A of the Insurance Act,1938 and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely: -

1. Objective, Short title and Commencement.

(1) Objective: To promote growth of insurance sector by simplifying the process of registration of Indian insurance companies and to promote ease of doing business.

(2) Short Title: These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022.

(3) Commencement: These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall remain in force for a period of three years thereafter unless reviewed or repealed earlier.

2. Definitions

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) **"Act"** means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) **"Authority"** means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(c) **"Applicant"** means a company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a statutory body established by an Act of Parliament or co-operative society to carry on insurance business;

(d) **"Encumbrance"** shall include -

(i) Pledge, lien, charge by whatever name called;

(ii) Any covenant, transaction, condition or arrangement in the nature of encumbrance**,** by whatever name called.

(e) **"Foreign Investors"** shall have the same meaning assigned to it in sub clause (g) of clause (1) of rule 2 of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.

(f) **"Foreign Promoter"** means the "foreign investors" which meet one or more of the following conditions:

(i) who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92 of the Companies Act, 2013;

(ii) who has control over the affairs of the company, directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise; or

(iii) in accordance with whose advice, directions or instructions, the Board of Directors of the company is accustomed to act:

Provided that nothing in sub-clause (iii) shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity.

(g) **"Indian Investors"** means "Investors" other than foreign investors.

(h) "**Indian promoter**" means -

(i) a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), which is not a subsidiary as defined in clause (87) of section 2 of that Act:

Provided that a subsidiary company may be allowed to be a promoter of the applicant if it meets the following conditions:

a. The said company is listed on the stock exchange(s) in India;

b. The said company has its own source of funds, independent from its holding company;

c. The said company has a net worth of atleast Rs.500 crore as at the end of the financial year preceding the date of application; and

d. The holding company of the said company is not subsidiary of any other company.

(ii) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulations Act, 1949 but does not include a foreign bank or branch thereof functioning in India.

(iii) a Core Investment Company (CIC) under Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016 as amended from time to time.

(iv) a public financial institution as defined in clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(v) a co-operative society registered under any relevant law for the time being in force.

(vi) a limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009).

(vii) a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) registered with Reserve Bank of India.

(viii) Any other person or entity as may be allowed by the Authority from time to time, which meets one or more of the conditions in clause (69) of Section 2 of Companies Act, 2013.

(i) **“Investors”** mean a person who is otherwise eligible to invest in the equity shares of insurance companies, and can be either an Indian Investor or a foreign investor.

(j) **“Key Management Person”** shall include members of the core management team of an insurer or applicant including all whole-time directors or Managing Directors or Chief Executive Officer and the functional heads one level below the Managing Director or Chief Executive Officer, including the Chief Financial Officer, Appointed Actuary, Chief Investment Officer, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer and the Company Secretary.

(k) **“Preliminary Expenses”** means expenses relating to the formation of an applicant. These include legal, accounting and share issue expenses incurred for the formation of the applicant and expenses incurred prior to grant of Certificate of Registration.

(l) **“Private Equity Fund” or “PE Fund”** includes **-**

(i) an Alternative Investment Fund or its manager registered with SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012; and/or

(ii) a Fund or its manager registered for the purpose of investment, with International Financial Services Centres Authority; and/or

(iii) Funds specifically formed for investment which are registered or their manager is registered with any financial sector regulator in any FATF compliant jurisdiction.

(m) **“Promoter”** means Indian Promoter or Foreign Promoter or both.

(n) **"Shareholding Pattern"** means the shareholding pattern approved by the Authority at the time of grant of Certificate of Registration or at any subsequent time.

(o) **“Special Purpose Vehicle” or “SPV”** means a company registered under the provisions of Companies Act, 2013 or a Limited Liability Partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008 for the purpose of making investment in an insurer.

(p) **"Transfer of Shares"** includes transfer of shares from existing shareholder(s) to another person and includes transmission and fresh issuance of the equity shares which leads to change in the shareholding pattern of an insurance company.

(2) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

3. Permissible Classes of Insurance Business

(1) The classes of business of insurance for which requisition for registration application may be made are:

(i) Life insurance business.

(ii) General insurance business.

(iii) Health insurance business exclusively.

(iv) Reinsurance business exclusively.

(v) Any other class as may be specified by the Authority.

(2) An applicant shall make a requisition for registration application only for any one of the classes of the business as specified by the Regulation 3(1).

4. Disqualifications for Applicant: An applicant shall not be eligible to apply for the requisition in the following circumstances:

i. Where the requisition for registration application or the application for registration has been rejected by the Authority or withdrawn by the applicant at any time during two financial years preceding the date of application; or

ii. Where Certificate of Registration has been cancelled by the Authority at any time during two financial years preceding the date of application; or

iii. Where the name of the applicant does not contain the words ‘insurance’ or ‘assurance’ or ‘reinsurance’.

5. Procedure for registration

(1) No-objection Certificate

i. No company or co-operative society shall be incorporated in India with a name that contains words ‘insurance’ or ‘assurance’ or ‘reinsurance’ without obtaining a No-objection Certificate from the Authority.

ii. Upon request by the applicant to issue the No-objection Certificate in the specified format, the applicant may be issued the No-objection Certificate.

iii. The No-objection Certificate issued to the applicant shall be valid for a period of 6 months within which the applicant shall file application for issuance of requisition for registration application i.e. Form IRDAI/R1:

Provided that the validity of the No-objection Certificate may be extended by a further period of three months for the reasons to be recorded in writing.

(2) R1 Approval

i. The Authority, upon receipt of application for issuance of Form IRDAI/R1 and after examining the matters considered relevant to its satisfaction, shall issue the Form IRDAI/R1 which shall be valid for a period of three months within which the applicant shall submit the duly filled Form IRDAI/R1 to the Authority for its consideration:

Provided that the Authority, by recording the reasons in writing, may reject the application for issuance of Form IRDAI/R1:

Provided further that the Authority, by recording the reasons in writing, may extend the validity of the IRDAI/R1 Form by another three months.

ii. Every application in the Form IRDAI/R1 as per the specified format shall be accompanied by:

a. The certificate of incorporation issued by Registrar of Companies in case of a company or Registration certificate in case of co-operative society;

b. a certified copy of the Memorandum of Association and Articles of Association, where the applicant is a company and incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013); or a certified copy of the legislation of Parliament setting up the statutory body to carry on insurance business;

c. In case of co-operative society, certified copy of bye-laws;

d. the name, address and the occupation of the directors of the promoter and the applicant;

e. a certified copy of the annual report of promoter(s) for up to the last five years, as applicable;

f. a certified copy of the shareholders' agreement, as applicable, between promoter(s) and investor(s) of the applicant;

g. Projection of business for five years duly approved by the Board of Directors of the applicant along with a certificate from a fellow actuary that the projections are reasonable and workable;

h. Proof in support of payment of non-refundable fee of rupees five lakh along with applicable taxes towards processing the form IRDAI/R1 through any of the recognised modes of electronic fund transfer.

iii. The Authority shall take into account such matters as may be considered relevant while processing the Form IRDAI/R1, including but not limited to the following:

a. the general track record of conduct and performance of each of the promoters and investors in the fields of business or profession they are engaged in;

b. the record of conduct and performance of the directors and persons in management of the promoters, investors and the applicant;

c. the financial strength of the promoters, investors and the applicant;

d. the capital structure of the promoters, investors and the applicant;

e. the sources of meeting the capital requirements of the applicant;

f. shareholding pattern of the applicant and its promoter(s);

g. the ability of the applicant and its promoters to meet the obligation to provide life insurance or general insurance or health insurance to the persons residing in the rural sector, workers in the unorganised sector or informal sector or for economically vulnerable or backward classes of the society and other categories of persons specified by the Authority;

h. the ability to meet the obligation to underwrite insurance business in third party risks of motor vehicles as specified by the Authority;

i. the planned infrastructure of the applicant;

j. the proposed business expansion plan for five succeeding years, including establishment of place of business in rural areas, to effectively carry out the insurance business; and

k. other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.

iv. The Chairperson of the Authority, after examining the matters considered relevant and upon its satisfaction, shall issue the "R1" Approval subject to the conditions as may be specified in the said approval letter. Along with the said approval letter, the applicant shall be issued the application for registration i.e. Form IRDAI/R2.

v. The “R1” approval shall be valid for a period of three months from the date of the said approval within which the applicant shall submit duly filled Form IRDAI/R2 for consideration of the Authority:

Provided that the Chairperson, by recording the reasons in writing, may extend the validity of the “R1” approval by a period of another three months.

(3) R2 Approval

i. Every application in the Form IRDAI/R2 as per the specified format shall be accompanied by:

a. An affidavit by the applicant and its promoters that the paid-up share capital of the applicant, after deducting the preliminary expenses, shall be adequate to comply with the requirements of section 6 of the Act.

b. A statement indicating the shareholding pattern of the applicant as on the date of the application.

c. An affidavit by the managing director or chief executive officer or whole-time director of the promoters and the investors of the applicant certifying that the holding of foreign paid-up equity capital, referred to in sub-clause (b) of clause (7A) of Section 2 of the Act, is calculated in accordance with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 read with these Regulation and does not exceed seventy four percent of the total paid-up capital of the applicant:

Provided that in case of the Indian promoter being a Limited Liability Partnership, such affidavit shall be signed by the Designated Partner:

Provided further that in case of applicant being a co-operative society, the affidavit shall certify that the holding of foreign capital, referred to in sub-clause (c) of clause (8A) of Section 2 of the Act, does not exceed twenty six percent of the total capital of the applicant.

d. In case the applicant has foreign investment, an affidavit by the managing director or chief executive officer or whole-time director and the promoter(s) of the applicant certifying that the requirement of regulation 8 shall be complied with.

e. In case the applicant has foreign investment exceeding forty nine percent, an affidavit by the managing director or chief executive officer or whole-time director and the promoters of the applicant certifying that the requirement of regulation 9 shall be complied with.

f. A certified copy of the standard forms of the applicant and statements of the assured rates, advantages, terms and conditions to be offered in connection with insurance policies together with a certificate by an actuary in case of life insurance business that such rates, advantages, terms and conditions are workable and sound.

g. A certified copy of the Memorandum of Understanding or Management Agreement or Shareholders Agreement or Voting Rights Agreements or any other agreements in whatsoever form entered into, between the promoters and the investors, if any, or amongst the promoters as a whole including copies of the support or comfort letters exchanged between the parties.

h. A certificate from a practicing chartered accountant or a practicing company secretary certifying that all the requirements relating to registration fees, equity share capital, foreign investment limits and other requirements of laws for the time being in force including the Act have been complied with by the applicant.

i. Proof in support of payment of non-refundable fee of rupees five lakh along with applicable taxes towards processing the Form IRDAI/R2 through any of the recognised modes of electronic fund transfer.

ii. Upon completion of the processing of the Form IRDAI/R2 but prior to its approval by the Authority, the applicant shall submit:

a. Evidence of applicant having received equity share application money in accordance with section 6 of the Act and complied with conditions of R1 approval granted by the Authority.

b. An affidavit by the applicant, promoters and the investors that upon grant of Certificate of Registration, the said share application money shall be converted into paid-up equity share capital of the applicant.

iii. The Authority shall take into account the matters, as may be considered relevant while processing the form IRDAI/R2, including but not limited to the following:

a. the nature of insurance products proposed to be offered by the applicant;

b. the level of actuarial, accounting and other professional expertise within the management of the applicant;

c. the organisation structure of the applicant to carry on all functions in respect of the insurance business including management of the investments within its own organisation;

d. the applicant is eligible, and in its opinion, is likely to meet effectively its obligations imposed under the Act;

e. the financial condition of the promoters, investors and the general character of the management of the applicant are sound;

f. the volume of business likely to be available to, and the capital structure and earning prospects of the applicant will be adequate;

g. the interests of the general public will be served if the certificate of registration is granted to the applicant in respect of the class of insurance business specified in the application; and

h. the applicant has complied with the provisions of sections 2C, 5 and 31A of the Act and has fulfilled all the requirements of these sections applicable to it.

i. all other relevant matters for carrying out the provisions of the Act.

iv. The Authority, after examining the matters considered relevant and upon its satisfaction, shall, at its discretion, issue the “R2” Approval subject to the conditions as may be specified in the said approval letter.

(4) Grant of Certificate of Registration: After examining the matters considered relevant and upon its satisfaction, the applicant may be registered as an insurer for the class of business for which the applicant is found suitable and the chairperson of the Authority may grant the applicant the Certificate of Registration in Form IRDAI/R3 subject to the following conditions:

i. The applicant and its promoter(s) and investor(s) shall be “Fit & Proper” on a continuous basis;

ii. The promoter(s) and investor(s) shall comply with the specified lock in period, on their shareholding from the date of grant of Certificate of Registration;

iii. The promoter(s) and investor(s) of the applicant shall not create any encumbrance on the equity shares of the applicant during the lock in period as may be specified;

iv. the shareholders of the applicant shall not create any encumbrance on the equity shares of the insurer without the previous written approval of the Authority in accordance with sub section (4) of section 6A of the Act;

v. The applicant and promoter(s) shall be continuously bound by all the conditions and the investor(s) by such conditions as may be applicable subject to which the certificate in Form IRDAI/R3 has been issued;

vi. The applicant shall furnish, within 15 days, evidence of applicant having allotted shares to its promoters and investors in accordance with section 6 of the Act and having complied with the conditions as per R1 approval and R2 approval granted by the Authority; and

vii. Such other conditions as may be deemed fit at the time of grant of Certificate of Registration.

(5) **Commencement of Insurance Business:** An applicant granted the Certificate of Registration under these Regulations shall commence insurance business, for which it has been authorised, within 12 months from the grant of Certificate of Registration. In case, the applicant fails to commence business within the stipulated time, the certificate of registration shall not be valid after expiry of stipulated time:

Provided that in case the applicant is not in a position to commence the insurance business within the specified period of 12 months, it can before the time limit expires, seek an extension from the Authority through a written application. The said application shall highlight the reasons for not being able to commence business within the specified period of 12 months:

Provided further that no extension of time shall be granted by the Authority beyond 24 months from the date of grant of Certificate of Registration.

(6) **Rejection of Application**

i. The requisition for registration application or the application for registration may be rejected by the Authority, after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard, in following cases:

a. Where an application is not complete in all respects.

b. Where the requirements under the provisions of the Act or the Regulations framed thereunder are not met at any stage of the process.

c. For any other reasons to be recorded in writing.

ii. The order rejecting the application shall be communicated by the Authority to the applicant, in writing, within a period of thirty days of such rejection stating therein the grounds on which the application has been rejected.

iii. An applicant, whose application for registration has been rejected at any stage, shall not be entitled to a Certificate of Registration.

(7) **Further Information and Clarification:** The Authority may require the applicant, which makes an application under these regulations, to furnish further information or clarifications regarding the matters relevant for the consideration of the application at any stage of the process.

(8) The Authority may impose such conditions as may be deemed fit at the time of grant of No-objection Certificate, R1 approval, R2 approval or the Certificate of Registration. The applicant shall be bound by the conditions subject to which the approvals and/or certificate of registration has been issued.

(9) **Appeal to SAT:** An applicant aggrieved by the decision of the Authority, at any stage under these regulations, may appeal before the Securities Appellate Tribunal as per the provisions of the Act.

6. Compliance Requirement:

(1) **Lock-in period:** The equity shares of the applicant shall be locked-in for the period as under:

S. No.	Particulars	Investment in the capacity of	Lock-in Period
1	Investment at the time of or before grant of R3 (i.e. Certificate of Registration)	Promoter or Investor	5 years from the date of grant of R3
2	Investment during 5 years post grant of R3: In case of change in shareholding pattern	Promoter or Investor	Earlier of the following: a) 5 years from the date of investment; or

S. No.	Particulars	Investment in the capacity of	Lock-in Period
			b) 8 years from the grant of R3.
3	Investment after 5 years but before 10 years post grant of R3: In case of change in shareholding pattern	Promoter	Earlier of the following: a) 3 years from the date of investment; or b) 12 years from the grant of R3
		Investor	Earlier of the following: a) 2 years from the date of investment; or b) 11 years from the grant of R3
4	Investment after 10 years post grant of R3: In case of change in shareholding pattern	Promoter	2 years from the date of investment
		Investor	1 year from the date of investment

Provided that the Authority may relax the lock-in period to enable the insurer to list its shares on the stock exchange(s) in India.

(2) **Fit and Proper Criteria:**

i. The Authority shall assess the applicant, its promoters and investors on the fit and proper criteria on the basis of factors as may be considered relevant including but not limited to those specified in **Schedule 1** of these Regulations.

ii. The applicant, promoter and investors shall be fit and proper on a continuous basis i.e., even after the grant of Certificate of Registration.

iii. In case, the applicant, its promoters and/or investors are found to be not fit and proper at any stage, the Authority may take such action as may be deemed appropriate.

(3) **Special Purpose Vehicle:** In case the applicant is promoted by a Special Purpose Vehicle (SPV), the following conditions shall be complied with:

i. The SPV shall not issue convertible instruments of any kind;

ii. No stock options or sweat equity shares shall be issued to the employees or directors of SPV;

iii. Prior approval of the Authority shall be obtained for transfer of shares of the SPV as per the limits specified under Section 6A of the Act in accordance with the manner specified in **Schedule 2** of these Regulations;

iv. The investment limits, lock-in period and other requirements as per these Regulations shall also be applicable at the SPV level;

v. The criteria as specified in clause (iii) of sub regulation (2) of Regulation 5 shall also be applicable for the promoter and investor of the SPV;

vi. The equity shares to be issued by the SPV shall be valued at a price determined on the basis of valuation certificate issued by two SEBI Registered Category-I Merchant Bankers. Such certificates shall not have been issued prior to 30 days from the date of allotment of shares. The Merchant Bankers shall provide a proper report addressed to the Board of directors with justification for such valuation. A copy of the summary along with critical elements of the valuation report shall be sent to the shareholders along with the notice of the general meeting; and

vii. The paid-up capital of the SPV shall be equal to or more than the minimum paid up capital of the applicant required under section 6 of the Act.

(4) **Operating Company:** In case the applicant is promoted by an operating company, the said promoter will be subject to necessary due-diligence **including but not limited to the following**:

i. The examination of the nature of operating company on the basis of substance over form;

ii. The track record of business operations, liquidity and profitability;

iii. Ability of the promoter to raise capital to meet the business and solvency requirements of the applicant, on an ongoing basis; and

iv. The shareholding pattern of the promoter.

(5) **Investment as "Promoter":** Investment in the capacity of promoter, directly or indirectly, in an insurer shall be in compliance with the following:

i. The person shall not be a promoter of more than one life insurer, one general insurer, one health insurer and one reinsurer;

ii. The person shall submit an undertaking to infuse capital in the insurer to meet its solvency and/or business requirements, if any, in future; and

iii. The person is otherwise eligible to act as promoter of the insurer under these Regulations.

(6) **Promoter(s) Holding:** The minimum shareholding of all the promoter(s) of the insurer shall be collectively maintained at above fifty (50) per cent of the paid up equity capital of the insurer:

Provided that promoter(s) may dilute their stake in the insurer below fifty (50) percent but not below twenty-six (26) percent of the paid up equity capital of the insurer in case the following conditions are complied with:

a. The insurer has track record of solvency ratio above control level during 5 years immediately preceding the dilution of stake by promoter(s), and

b. The shares of the insurer are listed on the stock exchange(s) in India.

(7) **Investment as "Investor":** Investment in the capacity of investor, directly or indirectly, in an insurer shall be in compliance with the following:

i. The investment by a single "investor" shall be less than twenty five (25) percent of the paid-up equity share capital of insurer.

ii. The investment by all the "investors" collectively shall be less than fifty (50) percent of the paid-up equity share capital of the insurer:

Provided that the said restriction shall not be applicable in case the equity shares of the insurer are listed on the stock exchange(s) in India.

iii. **Number of Insurers**:

a. An investor may invest in any number of insurers provided that the investment does not exceed ten percent of the paid-up capital of the respective insurers.

b. In case of investment of more than ten percent but less than twenty-five percent of paid-up capital of the insurers, investment by the investor shall be restricted to not more than two insurers in each class of insurance business.

Provided that the investor may nominate a director on the Board of the insurer if its investment exceeds 10 percent of the paid up capital of the respective insurer.

iv. In case of a one-time investment by an investor in an unlisted insurer, the investor shall make an upfront disclosure to this effect to the insurer. In such a case, the promoter(s) shall submit an undertaking to the Authority to infuse capital in the insurer to meet its solvency and/or business requirements, if any, in future.

(8) **Additional Stipulations for Investment by promoter and/or investor**: Investment shall also be in compliance with the following:

i. Investment shall be made entirely out of own funds and not from borrowed funds.

ii. In case any of the group entities or body corporate under the same management have also invested in the insurer, the limits under these Regulations shall apply at the group level.

For the purposes of this sub-clause, the expressions "group" and "same management" shall have the meanings respectively as provided under explanation to section 6A(4)(b)(iii) of the Act.

iii. The provisions relating to transfer of shares as contained in Section 6A(4)(b) of the Act shall apply mutatis-mutandis to the creation of pledge or any other kind of encumbrance over shares of an insurer.

iv. In case of investment by an entity in more than one insurer, directly or indirectly:

a. The person shall disclose the facts related to common holding to all the investee insurers;

b. The person along with the insurer shall put in place mechanism to avoid any conflict of interest that may arise due to the said common equity holding; and

c. The director nominated by the said person shall recuse from the discussions on any matter pertaining to other investee insurer(s), where the conflict of interest may arise.

(9) **Criteria for Investment by the Private Equity Funds:**

i. The private equity funds may invest in the applicant in the capacity of a promoter or investor in the manner as specified under these Regulations.

ii. Investment in the insurer, including proposed limit in respect of future capital requirement of the insurer, shall be as per the PE Fund's strategy reflected in its placement memorandum to its investors or its charter documents.

iii. A Private Equity Fund may invest in any insurer in the capacity of "promoter", only if it meets the following criteria:

a. The manager of the PE Fund or its Parent Fund has completed 10 years of operation;

b. The funds raised by the PE Fund including its group entity(ies) is USD 500 million or more (or its equivalent in INR);

c. The investible funds available with the PE Fund is not less than USD 100 million; and

d. The manager of the PE Fund has invested in the financial sector in India or the other jurisdictions.

(10) **Transfer of Shares**: No registration of transfer of shares or issue of equity capital of an insurance company, which would result in change in shareholding, shall be made, where:

i. after the transfer, the total paid-up holding of the transferee in the shares of the insurance company is likely to exceed five percent of its paid-up capital; or

ii. the Nominal value of shares intended to be transferred by an individual, firm, group, constituents of a group, or body corporate under same management, jointly or severally exceeds one percent of the paid-up equity capital of the insurance company.

Unless the prior approval of the Authority has been obtained for the said transfer in the manner as specified in **Schedule 2** of these Regulations.

7. Manner of calculation of equity capital held by foreign promoter and foreign investor:

For the purposes of the Act and these Regulations, the calculation of the holding of equity shares by one or more foreign investors and/or foreign promoters in the applicant company, shall be made as under and shall be aggregate of:-

(i) the quantum of paid up equity share capital held by the foreign Investor(s) and foreign promoter(s) including foreign venture capital investor(s), in the applicant company; and

(ii) the proportion of the paid up equity share capital held or controlled by such foreign investor(s) or foreign promoter(s) either by itself or through its subsidiary companies in the Indian promoter(s) or Indian Investor(s) as mentioned in sub-clause (i) of this Regulation.

Provided that clause (ii) shall not be applicable to an Indian promoter or Indian investor referred in clause (ii) and (iv) of clause (h) of sub-regulation (1) of Regulation 2.

Provided further that the clause (ii) shall not be applicable to any Indian promoter or Indian investor of a listed Indian insurer where such Indian promoter and/or Indian investor are regulated by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and/or National Housing Bank.

8. Requirement of Resident Indian citizenship for Directors, Key Management Persons, etc.

In an Indian Insurance Company having foreign investment —

(a) a majority of its Directors,

(b) a majority of its Key Management Persons, and

(c) at least one among the Chairperson of its Board, its Managing Director and its Chief Executive Officer, shall be Resident Indian Citizens.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression "Resident Indian Citizen" shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of sub-rule (1) of rule 2 of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015.

9. Requirements for foreign investment exceeding forty-nine percent

In an Indian Insurance Company having foreign investment exceeding forty-nine per cent—

(a) for a financial year for which dividend is paid on equity shares and for which at any time the solvency margin is less than 1.2 times the control level of solvency, not less than fifty percent of the net profit for the financial year shall be retained in general reserve; and

(b) not less than fifty per cent of its directors shall be independent directors, unless the chairperson of its Board is an independent director, in which case at least one-third of its Board shall comprise of independent directors.

10. Annual Fee

(1) An insurer who has been granted a Certificate of Registration under Section 3 of the Act shall pay, an annual fee along with applicable taxes for every financial year to the Authority before 31^{st} day of January of the preceding financial year**.**

(2) The annual fee shall be higher of

i. Ten lakh rupees, or

ii. One-twentieth of one per cent of total gross premium written direct by an insurer in India during the financial year preceding the year in which the annual fee is required to be paid, or rupees ten crore whichever is less;

Provided that in the case of an insurer carrying on solely re-insurance business, instead of the total gross premium written direct in India, the total premium in respect of facultative reinsurance accepted by it in India shall be taken into account.

(3) The annual fee shall be paid into the account of Insurance Regulatory and Development Authority of India. The annual fee shall be remitted through any of the recognised modes of electronic funds transfer.

(4) If the insurer fails to deposit the annual fee before the date specified in sub-regulation (1), the Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee by way of penalty of

i. Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or

ii. Ten percent of the annual fee if the fee is paid after expiry of the last date of payment stipulated in this Regulation but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.

(5) Where the insurer has failed to pay the fee before the end of the financial year in which it is due to be paid, certificate of registration is liable to be cancelled in terms of provisions of Section 3 read with sub section (2) of Section 3A of the Act.

11. Issue of duplicate certificate: The Authority may, on receipt of fee of rupees five thousand along with applicable taxes, issue a duplicate certificate to an insurer, if the insurer makes an application to the Authority in Form IRDAI/R4, as specified.

12. Suspension or Cancellation of Certificate of Registration

(1) **Cancellation of registration pursuant to voluntary surrender of Certificate of Registration by Insurer**:

i. The insurer may surrender the Certificate of Registration granted to it and may request the Authority to cancel the same in the following cases:

a. The business or a class of the business of the insurer has been transferred to any person pursuant to the Order of the Authority to this effect.

b. The business or a class of the business of the insurer has been transferred to or amalgamated with the business of any other insurer after obtaining approval of the Authority.

c. The insurer is not in the position to commence its operations, subsequent to grant of Certificate of Registration, within the stipulated time.

ii. The Authority, after examining the request, may cancel the Certificate of Registration subject to such conditions as may be necessary to protect the interest of the policyholders of the insurer.

(2) **Suspension or Cancellation of registration**: Without prejudice to any penalty which may be imposed or any action taken under the provisions of the Act, the registration of any insurer may be suspended or cancelled for a class or classes of insurance business for such period as may be specified by the Authority by an order under the following circumstances:

i. the insurer fails, at any time, to comply with any provisions of the Act in general and provision of Section 64V and Section 64VA of the Act in particular,

ii. the insurer is in liquidation or is adjudged as an insolvent,

iii. the business or a class of the business of the insurer has been transferred to any person or has been transferred to or amalgamated with the business of any other insurer without the approval of the Authority,

iv. defaults in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Act or of any Rule or any Regulation, Direction or Order issued by the Authority, particularly if the insurer:

(a) conducts its business in a manner prejudicial to the interest of the policyholders;

(b) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its insurance business;

(c) does not submit periodical returns as required under the Act or as directed by the Authority;

(d) does not cooperate in any inquiry conducted by the Authority;

(e) indulges in manipulative practices;

(f) indulges in unfair trade practices;

(g) fails to make investment in the infrastructure or social sector specified in the regulations.

v. the Authority has reasons to believe that any claim upon the insurer arising in India under any policy of insurance remains unpaid for three months after final judgment in regular court of law,

vi. the insurer carries on any business other than the class of insurance business for which registration has been granted by the Authority or any specified business,

vii. the insurer defaults in complying with any direction issued or order made, as the case may be, by the Authority under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999,

viii. the insurer defaults in complying with, or acts in contravention of, any requirement of the Companies Act, 2013, or the General Insurance Business (Nationalisation) Act,1872 or the Foreign Exchange Management Act, 1999 or the Prevention of Money Laundering Act, 2002;

ix. the insurer fails to pay the annual fee required under section 3A of the Act, or

x. Insurer or promoter of the insurer are no more compliant with the "Fit & Proper" criteria specified as per **Schedule 1**; or

xi. the insurer is convicted for an offence under any law for the time being in force:

Provided that the Authority for reasons to be recorded in writing may, in case of repeated defaults of the type mentioned above, impose a penalty of cancellation of Certificate of Registration.

(3) **Procedure** for Suspension of Certificate of Registration

i. No order of suspension of Registration under sub-clause (2) shall be imposed without granting an opportunity of being heard to the insurer.

ii. The Authority shall serve a show-cause notice to the insurer seeking explanation from the insurer as to why action against the insurer should not be taken. The show-cause notice shall include the charges or reasons for which the action is proposed to be taken.

iii. The Authority shall allow a time period of twenty-one days for the insurer to respond to the show-cause notice.

Provided that in cases where it is considered appropriate to take immediate action to protect the interest of the policyholders, the insurer may be asked to submit its response within such period as may be deemed appropriate to the Authority.

iv. The Authority after considering the reply to the show-cause notice, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by the insurer within the time period as per the show cause notice, the Authority can proceed to decide the issue ex-parte.

v. An order passed by the Authority shall give reasons therefor including justification of the penalty imposed by that Order.

vi. The Authority shall send a copy of the Order made to the insurer within seven days of passing the Order.

(4) **Procedure for Cancellation of Certificate of Registration**

i. No order of cancellation of Registration under sub-clause (2) shall be made except after holding an enquiry in accordance with the procedure specified in these Regulations.

ii. For the purpose of holding an enquiry under this regulation, the Authority may appoint an enquiry officer.

iii. The enquiry officer shall issue a notice to the insurer at the registered office or the principal place of business of the insurer.

iv. The insurer may, within twenty one days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply, together with copies of documentary or other evidence relied upon by it or sought by the Authority from the insurer.

v. The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of being heard to the insurer to enable it to make submissions in support of its reply.

vi. If it is considered necessary, the enquiry officer may ask the Authority to appoint a presenting officer to present its case.

vii. The insurer may appear before the enquiry officer, either in person or through any person duly authorised by the insurer:

Provided that no advocate shall be permitted to represent the insurer at the enquiry:

Provided further that where an advocate has been appointed by the Authority as the presenting officer, it shall be lawful for the insurer to present its case through an advocate.

viii. The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the insurer, submit a report to the Authority and recommend the penalty as also the justification of the penalty proposed.

ix. On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the same and if considered necessary by it, issue a show-cause notice as to why an action, as it considers appropriate, should not be taken against the insurer.

x. The insurer shall, within twenty-one days of the date of receipt of the show-cause notice, send a reply to the Authority.

xi. The Authority after considering the reply to the show-cause notice, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such orders as it deems fit. If no reply is furnished to the Authority by the insurer within 90 days of the servicing of the notice, the Authority can proceed to decide the issue ex-parte.

xii. The Order passed by the Authority shall give reasons therefor including justification of the penalty imposed by that Order.

xiii. The Authority shall send a copy of the Order made to the insurer within seven days of passing the Order.

(5) **Effect of suspension or cancellation of Certificate**: On and from the date of suspension or cancellation of the Certificate of Registration, the insurer shall cease to transact new insurance business:

Provided that the Authority may direct the insurer to continue to service the existing policyholders for such period as may be specified in the Order made under these Regulations.

(6) **Publication of order:** The Order of the Authority passed under Regulations 12(4) of these Regulations shall be published in atleast two daily newspapers in the area where the insurer has its principal place of business.

(7) **Appeal to SAT:** An insurer aggrieved by the Order of the Authority, under these regulations, may appeal before the Securities Appellate Tribunal under section 110 of the Act.

13. Power to issue clarifications: In order to remove any difficulties in application or interpretation of any provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue clarifications or directions as deemed necessary.

14. Interpretation: The Chairperson of the Authority shall have powers for interpretation of these Regulations. The interpretation of the Chairperson of the Authority shall be final and binding on the applicants and insurers.

15. Repeal and Savings

(1) The following Regulations shall be repealed from the date these Regulations come into force:

a. Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000; and

b. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015.

(2) Unless otherwise provided by these Regulations, anything done or any action taken or purported to have been done or taken in respect of the Regulations mentioned in sub-regulation (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

Schedule 1: Fit & Proper Criteria

(refer sub regulation (2) of regulation 6 and clause (x) of sub regulation (2) of regulation 12)

Determination of "Fit and Proper" Status - Illustrative criteria for determining "fit and proper" status of applicants, promoters and/or Investors

In determining whether an entity is "fit and proper" to be a promoter or investor of Indian insurance companies, the Authority may take into account all relevant factors, as appropriate, **including, but not limited to the following**:

i. The entity's integrity, reputation, track record:

   1. The financial strength of the promoter or investor.
   2. Ability to infuse capital to meet business, solvency and regulatory requirements.
   3. Compliance with all applicable laws in India including FEMA and taxation law.
   4. Ability to access capital or financial markets to source funds that may be needed for any future capital infusion.
   5. Business record and experience of the entity.

ii. Due-diligence

   1. Approval or NOC by other regulatory bodies in India and/or outside India, as applicable;
   2. Insider trading, fraudulent or unfair trade practices or market manipulation by the promoters, investors or group entities.
   3. Proceedings including conviction against the entity or any of its promoter or group entities or any of its KMPs, by any regulatory or statutory or judicial bodies in India or outside India.

iii. Interest of policyholders and general public at large.

iv. Impact on the management and governance structure.

v. Agreement between shareholders and impact on control or management.

vi. Shareholding and Capital structure of the promoter or investor.

vii. Source of funds for investment.

viii. Beneficial ownership of shares of investors or promoters.

Schedule 2: Transfer of Shares

(refer clause (iii) of sub regulation (3) of regulation 6 and sub regulation (10) of regulation 6)

The prior approval for the purpose of transfer of shares, as may be required, under section 6A of the Act read with clause (iii) of sub regulation (3) of regulation 6 and sub regulation (10) of regulation 6 of these Regulations shall be obtained in the following manner.

(1) **Application seeking prior approval of the Authority:**

   a. **Application in specified form:** The application seeking prior approval of the Authority under the provisions of Section 6A of the Act shall be made in form(s) as specified by the Authority, accompanied by the requisite documents and the details of the transferor and transferee as specified, providing complete details of the proposed transferee, its financial strength, sources of funds from which the proposed investment is intended to be made, and such other information as may be specified by the Authority.

b. **Declaration on Beneficial Shareholding:** The application for transfer of shares shall be accompanied by a declaration from the proposed shareholder whether the shares are proposed to be held for his own benefit or as a nominee, whether jointly or severally, on behalf of others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each.

c. **Certificate by Merchant Banker:** The application for transfer of shares shall be accompanied by a certificate from Category-I Merchant Banker registered under SEBI, certifying the fair value per share of the insurer. Such certificate shall not have been issued more than 30 days prior to the date of application.

d. **Processing Fees**: Every application seeking prior approval of the Authority for transfer of shares under this schedule shall be accompanied with the proof of payment of non-refundable fee of Rs.1 lakh along with applicable taxes.

(2) **Due Diligence**: The Authority shall carry out the requisite due diligence of the proposed transferee prior to grant of approval for registration of transfer of shares under the provisions of sub section (4) of Section 6A of the Act or for issue of shares to the proposed transferee.

(3) **Conditions for Approval**: The Authority shall, while according its approval, specify such conditions on transferee as it may consider appropriate, including but not limited to:

a. Lock-in period as per Regulation 6(1) of these Regulations.

b. Infusion of additional capital in proportion of its shareholding or otherwise, at periodic intervals to ensure that the insurance company is compliant with the regulatory solvency requirements at all times; and

c. Compliance with all the conditions imposed by the Authority while granting Certificate of Registration i.e. R3.

(4) **Transfer of shares in case of listed insurance companies:**

a. Transfer of 1% or more but less than 5% of paid-up equity capital of insurer:

i. Every person who intends to make any transfer or make any arrangement or agreement for transferring one percent or more but less than five percent of the paid up equity share capital of the insurer, may do so, subject to filing of self-certification of the Fit and Proper criteria, of the acquirer, with the insurer.

ii. Such filing with the insurer shall be considered as the deemed approval of the Authority for the purpose of Section 6A(4)(b)(iii) of the Act.

iii. The transferor shall inform the Insurer immediately on execution of the transaction. The transferor is required to ensure compliance for any transaction(s) aggregating to more than 1 per cent of the paid-up capital.

b. Acquisition of 5% or more of paid-up equity capital of insurer:

i. Every person, who intends to make an acquisition or make an arrangement or agreement for acquisition which shall or is likely to take the aggregate holding of such person to five per cent or more of the paid-up equity share capital of the insurer, shall seek prior approval of the Authority in the manner specified in this Schedule.

ii. For any subsequent acquisition of shares of the insurer by such person upto ten per cent of the paid-up capital of the insurer, prior approval of the Authority is not necessary,

c. Notwithstanding any of the above, even when the acquisition or aggregate holding is proposed to be less than five percent and if the concerned insurer suspects that dubious methods have been adopted to get over the ceiling of five percent to camouflage the real purpose by individuals or groups with a view to acquire controlling interest in the insurer, a reference shall be made to the Authority by the concerned insurer. In such cases, it shall be in order for the Authority to require such shareholders to comply with the Due Diligence and Fit and Proper criteria.

(5) **Determination of extent of transfer:**

a. For the purpose of reckoning the quantum of transfer or acquisition of shares, scenarios where transfer is executed in favor of one or more parties, whether in a single or multiple transactions aggregating to excess of one per cent or five per cent, the cumulative transfers made during a given financial year shall be considered. Accordingly, whenever the specified limits are likely to exceed in a financial year, the entity shall be under obligation to seek the prior approval of the Authority.

b. Listed companies: In case of companies listed on the stock exchanges

i. The provisions at (a) above shall be applicable only with respect to the promoters or promoter group.

ii. Transfer shall include Offer for Sale as per SEBI (ICDR) Regulations by the existing shareholders, whether or not such shareholder is part of the promoter or promoter group.

(6) **Pledge of Shares of Insurance Company:** the provisions relating to transfer of shares as contained in Section 6A(4)(b) of the Act and this Schedule shall apply mutatis-mutandis to the creation of pledge or any other kind of encumbrance over shares of an insurance company.

(7) **Reporting requirements:**

a. Every insurer who has been granted registration under the Act shall, within 30 days of the end of every quarter, furnish, in the specified format, to the Authority a statement indicating changes exceeding 1% of the shareholding of the promoter. However, any change in excess of 5% of the shareholding of the promoters shall be reported to the Authority immediately.

b. Every insurer shall file a declaration on quarterly basis that its promoters and investors are 'Fit and Proper'.

c. Insurance companies shall immediately inform the Authority if any non-compliance is observed with regard to the provisions of the Act, the Regulations and Guidelines framed thereunder and the Circulars issued regarding the transfer of shares by the Authority.

d. In terms of Section 26 of the Act, an insurer shall forthwith furnish to the Authority the full particulars of any alteration which occurs or is made which affects any of the following matters:

i. Any encumbrance created on the shareholding of the promoter,

ii. Any change of control of the promoter,

iii. Any penal or regulatory action taken against the promoter,

iv. Any other matters which may be specified by the Authority from time to time.

(8) **Action for Violation or Non-Compliance**

In case of transfer of shares executed beyond the stipulated threshold limits by the shareholders, without the prior approval of the Authority shall attract regulatory action and;

a. The transferee shall not have any voting rights in any of the meetings of the insurance company.

b. The transferee shall promptly dispose of the excess shares acquired, beyond the specified threshold limit.

FORM IRDAI/R3

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(Seal of the Authority)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number: ….xxx….

This is to certify that (Name of Insurer and address) ……(xxxx)……………………………………. has this day…..(xxx)….been registered in accordance with the provisions of sub section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact the …….(xxx)……class of business.

Given under the seal of the Authority at Hyderabad this….(xx) ….day of…(xxx)…two thousand and ………(xxx)………..

Signature

(Competent Authority)

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./450/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.10 17:28:10 +05'30'